न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 92/2020 जिला सीकर ।

1. जवाहर सिंह पुत्र श्री लादुराम जाति जाट निवासी ग्राम चला, पटवार हल्का गोविन्दपुरा तह0 नीमकाथाना जिला सीकर ।
2. नाथूराम पुत्र श्री कालूराम
3. मालाराम पुत्र कालूराम
4. भोलाराम पुत्र कालूराम
5. कजोड पुत्र गोधा
6. श्रीमती मंगली देवी पत्नि स्व0 श्री भाना
7. रामसहाय पुत्र श्री भाना
8. नानूराम पुत्र सुखा
9. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री प्रभात
10. कैलाश पुत्र प्रभात
11. रामनिवास पुत्र श्री प्रभात
12. रामजीलाल पुत्र श्री भाना

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम ठिकरिया, ढाणी कोराना की, पटवार हल्का गोविन्दगपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
2. तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
3. विमला पुत्री प्रभात
4. सरोज पुत्री प्रभात
5. सुश्री मोहनी देवी पुत्री प्रभात
6. निम्बू पुत्री प्रभात
7. मनकोर पुत्री प्रभात

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ठिकरिया, ढाणी कोराना की, पटवार हल्का गोविन्दपुरा तह. नीमकाथाना, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर
दिनांक 14.07.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री एम. के. झालानी।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सुमेर सिंह बडसरा ।

निर्णय

दिनांक – 24.11.2020

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.07.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

06.07.2020 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 855 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 876 रकबा 1.48 है0, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.46 है0 खसरा नम्बर 878 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 880 रकबा 0.46 है0 खसरा नम्बर 881 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम चला एवं ठिकरिया पटवार हल्का गोविन्दपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज0 में अपीलांटस व रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 7 अपने पूर्वजो से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है और अपने पूर्वजो के समय से ही मौखिक विभाजन के आधार पर वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहे है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर गैर कानूनी रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर मुमकिन रास्ते के संबंध में जो कानूनी प्रकिया की गई उस संबंध में पटवारी, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांटस को कोई कानूनी नोटिस नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी व तहसीलदार कर रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही विवादित भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता कायम करने का आदेश दिनाकं 14.7.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अतः अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त किया जाए।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

3. वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 855 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 876 रकबा 1.48 है0, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.46 है0 खसरा नम्बर 878 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 880 रकबा 0.46 है0 खसरा नम्बर 881 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम चला एवं ठिकरिया पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0 में अपीलांटस व रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 7 अपने पूर्वजो से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और अपने पूर्वजो के समय से ही मौखिक विभाजन के आधार पर वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही विवादित भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता कायम करने का आदेश दिनांक 14.7.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अतः अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की भूमि 872, 873, 876 की दक्षिण दिशा में एवं खसरा नम्बर 855, 881, 880, 878, 877 के उत्तरी दिशा में रास्ता चालू नहीं हैं। इसके बावजूद तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए खसरा नं. 855, 872, 873, 876, 877, 878, 880, 881

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में से फिर एक नया रास्ता कायम करने की विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2017 का है लेकिन अपीलांट विधिक अज्ञानता के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 24.06.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रार्थना पत्र धारा 5 भी स्वीकार फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।
5. रेस्पोडेन्ट सं0 03 लगायत 07 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में प्रचलित रास्ता होने से तहसीलदार द्वारा गैर मुमकिन रास्ता कायम करने हेतु रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत कर अभिशंषा की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक हित में एवं ग्रामवासियों के हित को देखते हुए गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किए हैं, जो उचित एवं विधि सम्मत हैं। उनका कहना था कि ग्राम ठीकरिया के 803, 804, 807, 810, 813, 814, 830, 832, 833, 834, 836, 837, 855, 856, 838, 857, 872, 873, 881, 876, 877, 878, 880 खसरा नम्बरान से होकर चला से कांवट सडक आवागमन हेतु मौके पर जारी है। अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 16.4.2017 के अनुसार खसरा नम्बर 855 की पूर्वी दिशा तक मौके पर रास्ता उपलब्ध है किन्तु ख0न0 855 की पूर्वी दिशा व खसरा नम्बर 881 की पश्चिमी सीमा से मुख्य सडक तक मौके पर रास्ता जारी नही है। केवल खेतो की सीमाओ का पगडंडी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पत्रावली के अवालेकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांटस खातेदार की बिना सुनवाई किए आदेश पारित किया हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर खसरा नम्बरान 872, 873, 876, 877, 878, 880, 881 से संबंधित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 निरस्त कर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इस निर्देशित के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उक्त खसरा नम्बरान से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24/11/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर